न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/382

मिसल नम्बर– 61 / 2025

1.अब्दुल सत्तार आयु 70 वर्ष पुत्र ईदे खां निवासी– 019 / 00775 एक मीनार की मस्जिद रोड छावनी कोटा

2.कल्लो पत्नि अब्दुल सत्तार निवासी– 019 / 00775 मीनार की मस्जिद रोड छावनी कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.मुख्तार आलम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी एक मीनार की मस्जिद रोड छावनी कोटा

2.रूखसाना पत्नि मुख्तार आलम एक मीनार की मस्जिद रोड छावनी कोटा हाल निवासी मिल वाले बाबा के सामने प्रथम गली प्रताप कॉलोनी कोटा जंक्शन

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/12/25

उपस्थिति:–

1.श्री मो0 कलीम जाफरी प्रार्थी अधिवक्ता

2.श्री शहनवाज खान अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी 70 वर्षीय वृद्ध है जो सिनियर सिटीजन है जो कि स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अप्रार्थी न० 1 प्रार्थी का पुंत्र है तथा अप्रार्थी न0 2 पुत्र वधु है। प्रार्थी व प्रार्थीया की पत्नी उमरदराज हैं प्रार्थी की उम्र 70 वर्ष है. प्रार्थी के सन्तान के रूप मे तीन पुत्रियां व एक पुत्र है प्रार्थी ने जीवनभर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चो को पालन पोषण किया पढाया लिखाया और उनकी शादी कर उन्हे अपने पैरो पर खडा किया है एक बच्ची कुवारी है जो प्रार्थी के साथ रहती है। प्रार्थी के पुत्र मुख्तार आलम जिसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सन 2002 मे सम्पन्न हुई थी जिनसे संतांनो के रूप मे दो पुत्रीयां व एक पुत्र है शादी के बाद किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई और न किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ प्रार्थी के परिवार का जीवन शांति पूर्वक चल रहा था। प्रार्थी ने अपनी हैसियत अनुसार अपनी मेहनत से एक मकान स्वयं की राशि से खरीद किया

उप खण्ड अधिकारी कोटा

उप खण्ड अधिकारी कोटा

और उसी मकान मे प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नि अपने बेटे बहु के साथ करते आरहे है। प्रार्थी की वर्तमान आय मे प्रार्थी व उसकी पत्नि को राज्य सरकार से मिलने वाली सामाजिक पेन्शन है। वह प्रार्थी वं उसकी पत्नि की रोजी रोटी का जरिया है। प्रार्थी का पुत्र प्रार्थी व उसकी पत्नि को कोई भरण पोषण. राशि नहीं. देता है और ना ही उनका भरण पोषण करता है ना ही उनकी तिमारदारी करता है। प्रार्थी की बहू अप्रार्थीया न० 2 पिछले पांच वर्षों से प्रार्थी के मकान व प्रार्थी के खाते की जमीन को अपने नाम कराने का दबाव बनाते हुये लड़ाई झगडा करती है और कहती है कि आप दोनो मकान जमीन हमारे नाम करवाओ। अप्रार्थी न०1 अपने परिवार सहित प्रार्थीगण .से 2 वर्ष से प्रार्थीगण के मकान मे अलग निवास करता है। अप्रार्थी न०1 प्रार्थीगण का कोई भरण पोषण नहीं करता है ना ही कोई राशि अदा करता है। तथा आये दिन प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करता है। प्रार्थी व उसकी पत्नि से लडाई झगडा करता है प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ मारपीट करता है तथा गाली गलोच करता है तथा जान से मारने की धमकी देता है और प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ कूरता पूर्ण अत्याचार करता है। किसी तरह का भरण पोषण नहीं करता है ना ही खर्चा देता है ना ही हमारी देखभाल करता है तथा बुरी बुरी गालियां बकता है तथा अप्रार्थीं प्रार्थी व पत्नि का इलाज भी नहीं करवाता है नाही खर्चा देता है। प्रार्थीगण की वृद्धांवस्था की पेन्शन आती है उससे. ही वह अंपना जीवनं यापन बडी मुश्किले से कर रहे है। अप्रार्थी न०1 व 2 जबरन मकान जमीन अपने नाम करवाने व न करवाने पर जान् से मारने की धमकीयां देते है तथा प्रार्थी उसकी पत्नि के साथ अप्रार्थी न०1–व2 गाली गलोंच मारपीट पर आमादा होते है इसी क्रम मे अप्रार्थी न०2 प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ मारपीट कर अपने पीहिर मे चली गई है तथा आये दिन कभी भी प्रार्थी के यहा आजाती है तथा प्रार्थी के साथ गाली गलोच करती है तथा मारने पीटने पर आमादा हो जाती है तथा अप्रार्थी न01 मूक होकर यह सब देखता रहता है अप्रार्थी न० 1 की शैय पर ही अप्रार्थी न02 व उसके बच्चे प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ ऐसा कूर व्यवहार करते है। अप्रार्थीगण का यह दायित्व है कि वह प्रार्थीगण की दवा दारू करे उनकी देखभाल करे लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। बल्कि वृद्धवावंस्था मे प्रार्थी व उसकीं पत्नि को उसके स्वयं के मकान् से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है एवं हमारे साथ लगातार मारपीट की जा रही है। मोहल्ले वाले बीच बचाव करने आते है तथा अप्रार्थीगिण को समझाने का प्रयास करते है तो अप्रार्थीगण उनके साथ भी गाली गलोच मारपीट करने. पर उतारू हो जाते है। प्रार्थी व उसकी पत्नि अप्रार्थीगण के कृत्य से काफी भयभीत है तथा अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे है। प्रार्थी बडी मुश्किल से – अपने स्वयं के मकान मे अपनी पत्नि व कुंवारी लडकी सहित रह रहा है। तथा अपंना गुजर, बसर कर रहे है। प्रार्थी का पुत्र अप्रार्थी न01 आरएसवी लि0 प्राईवेट कम्पनी मे कार्य करता है जहां से मिलने वाला तमाम पैसा वह अप्रार्थीया न02 को देता है। प्रार्थी व उसकी को अपनी जानमाल का पूर्ण खतरा अप्रार्थीगण से है इसलिये प्रार्थी अपने मकान मे अप्रार्थी न०1 व 2 को नहीं रखना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रस्तुत कर निवेदन है कि निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के साथ किसी प्रकार की मारपीट गाली गलोच नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखल किया जावे। अन्य जो न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 1 उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी हैसियत अनुसार आपनी मेहनत से एक मकान स्वयं की राशि से खरीद किया. और उसी मकान मे प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नि अपने बेटे बहू के साथ करते आ रहे है। प्रार्थी की वर्तमान आय मे प्रार्थी व उसकी पत्नि को राज्य सरकार से मिलने वाली सामाजिक पेन्शन मिलना स्वीकार है। आप्रार्थी अपनी हैसियित अनुसार प्रार्थी व अपनी माँ की सेवा करता है। अप्रार्थीं न01 की पत्नि का स्वभाव ठीक नहीं है। अप्रार्थी अपनी हैसियतानुसार सेवा करता है। अप्रार्थी न01 मकान जमीन अपने नाम करवाने व न करवाने पर जान से मारने की धमकीया नहीं देता है। बाकी तथ्य स्वयं प्रमाणित करें। अप्रार्थी न०1 द्वारा अपनी हैसियतान्सार सेवा की जाती है। अप्रार्थी न०2. जो कि लडालू झगडालू किस्स की है के द्वारा लगातार मारपीट की जा रही है। मोहल्ले वाले बीच बचाव करने आते है तथा अप्रार्थी न02 को समझाने का प्रयास करते है तो अप्रार्थी न02 उनके साथ भी गाली गलोच मारपीट करने पर उतारू होजाती है। प्रार्थी व उसकी पत्नि को अपनी जानमाल का पूर्ण खतरा अप्रार्थीया नं0 2 से है न कि अप्रार्थी नं0 1 से फिर भी प्रार्थी अपने मकान में अप्रार्थी नं0 1 व 2 को नहीं रखना चाहता है तो अप्रार्थी नं0 1 कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी नं0 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुई। अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करता है। प्रार्थी व उसकी पत्नि से लडाई झगडा करता है प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ मारपीट करता है तथा गाली गलोच करता है तथा जान से मारने की धमकी देता है और प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ कूरता पूर्ण अत्याचार करता है। किसी तरह का भरण पोषण नहीं करता है ना ही खर्चा देता है ना ही हमारी देखभाल करता है तथा बुरी बुरी गालियां बकता है तथा अप्रार्थीं प्रार्थी व पत्नि का इलाज भी नहीं करवाता है ना ही खर्चा देता है।

उपखण्ड अधिकारी
को.

प्रार्थीगण द्वारा फर्द दस्तावेज मकान का पटटा रजिस्ट्री पेश की है। उक्त पटटा रजिस्ट्री के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि उक्त मकान प्रार्थी नं0 2 के स्वामित्व का है। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अन्य कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को मकान 019/00775 एक मीनार की मस्जिद रोड छावनी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम की भावना को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को मकान में शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, दुर्व्यवहार एवं गाली–गलौच नही करे, प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करके शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताडित।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा